

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

छमाक / रथा 2 / सी / स्था / 07 / 2010 / 600

प्राप्ति क्रमांक

4.5.10

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं अनुकूलता एवं उनके नाम के सम्मुख क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

2/ यह पदस्थापना सदृशा से स्वयं के व्यय पर होने से इन्हे किसी प्रकार के यात्रा भत्ते इत्यादि की गता नहीं होगी।

संक्रमांक	नाम	यूनिफ आई.डी.	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	अशोक तिवारी (गणित)	अपाप्त	शास.क.उर्दू उ.मा.वि. हरीपुर जिला बुरहानपुर किया गया स्थानान्तरण संरोधन	23480277703	शास.क.उ.मा.वि मैहर जिला कटनी	23130277705
2	श्री रमाकौत चरे (इतिहास)	अपाप्त	शास.उत्कृ.उ.मा.वि. जतारा जिला टीकमगढ़	23080277702	शास.उत्कृ.उ.मा.वि डबरा जिला ग्वालियर	23040177702
3	श्रीमती रत्नमाला कीर्ति (इतिहास)	अपाप्त	शास.उत्कृ.बा.उ.मा. वि चंद्रेशी जिला अशोकनगर	23460577705	शास.उत्कृ.उ.मा.वि मुरार जिला ग्वालियर	23040577707
4	चित्रलेखा पचोरी (रसायन)	अपाप्त	शास.गजराराजा क. उ.मा.वि ग्वालियर	23040577715	शास.क.उ.मा.वि. गांधी नगर भोपाल	23320677732
5	श्रीमती रीता उर्मा (जीट हिट)	अपाप्त	शास.क.उ.मा.वि. खैरलांजी जिला बालाघाट	23450477702	शास.कमला नेहरू क.उ.मा.वि धारासिंदनी जिला बालाघाट	23450777702

प्राप्ति क्रमांक
प्राप्ति क्रमांक

201/

601

प्राप्ति क्रमांक 4.5.10

- नेहरू नालंदा उ.मा.वि. स्कूल शिक्षा विभाग न प्राप्ति क्रमांक 6
- प्रद्युम्न राज्यविद्यालय, उ.मा.वि. स्कूल शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश भोपाल
- उत्कृष्ण उ.मा.वि. दुर्दौर, कटनी, टीकमगढ़, ग्वालियर, अशोकनगर, यालाघाट
- मुरार उ.मा.वि. चंद्रेशी जिला बुरहानपुर, कटनी, टीकमगढ़, रामनगर, उ.मा.वि. यालाघाट
- मुरुज उ.मा.वि. उ.मा.वि. रायगढ़ी जिला बुरहानपुर, कटनी, टीकमगढ़, रामनगर, उ.मा.वि. यालाघाट
- जिला कोषालय अधिकारी जिला बुरहानपुर, कटनी, टीकमगढ़, ग्वालियर, अशोकनगर, बालाघाट।
- जिला शिक्षा अधिकारी जिला बुरहानपुर, कटनी, टीकमगढ़, ग्वालियर, अशोकनगर, बालाघाट। सप्रति अप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को

म संयारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थान नारिंग रास्था में विश्वमान स्तर
संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से अवश्यक होने वाली संबंधित छा एक सप्ताह
में कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार
की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो उसका पालन + कर्तव्य हुए
वर्तमानिकति से तत्वात्मक संचालनालय को अवगत कराया। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निदेश
का पालन सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदाता बनना चाहिए विभाग रास्था का अधिकारी
प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय का अधिकारी द्वारा जारी करें।

- ८ संबंधित प्राचार्यों की ओर सूचनार्थ एव आवश्यक छ रहा है ।
९ सम्बंधित की ओर सूचनार्थ ।

१६६

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

क्रमांक / स्था. 2 / सी / स्था. / 22/2010 / 602

भोपाल, दिनांक 04/05/11

// आदेश //

संचालनालय लोक शिक्षण द्वारा निम्नांकित व्याख्याता का स्थानान्तरण समान सामर्थ्य एवं वेतनमान में उनके नाम के सम्मुख कॉलम क्रमांक 6 में अंकित संस्था में तत्काल प्रभाव रो किया जाता है।

2/ यह प्रदर्शनापना स्वेच्छा रो स्वयं के व्यय पर होने से इन किसी प्रकार के घात्रा भत्ते इत्यादि की पात्रता नहीं होती।


सं. क्र.	नाम	यूनिक आई.डी. क्रमांक	वर्तमान संस्था तथा जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड	स्थानान्तरित संस्था/जिले का नाम	संस्था/जिले का डाईस कोड
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री एम के सेनो (गणित)	अप्राप्त	शास.क.उ.मा.वि. आष्टा जिला सीहोर	23330177702	शास.उ.मा.वि. अहमदाबाद कोहफिजा भोपाल	23320877731
2	श्री विरेन्द्र कुमार सेन (गणित)	अप्राप्त	शास.क.उ.मा.वि. राधौगढ़ जिला गुना	23070977702	शास.उत्कुड़ मा.वि. राधौगढ़ जिला गुना	23070977701


 आयुक्त
 लोक शिक्षण म.प्र.
 भोपाल दिनांक 04/05/10

पुस्ता. क्रमांक / स्था. 2 / सी / स्था. / 22/2010 / 603

प्रतिलिपि—

- निज सहायक मान मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र. शासन गवर्नर भोपाल।
- प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- कलेक्टर जिला सीहोर / भोपाल / गुना।
- मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पद्धातयत जिला सीहोर / भोपाल / गुना।
- गंपुदत्त रांचालक लोक शिक्षण संभागीय कार्यालय भोपाल / ग्वालियर।
- जिला कोषालय अधिकारी जिला सीहोर / भोपाल / गुना।
- जिला शिक्षा अधिकारी सीहोर / भोपाल / गुना। म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित व्याख्याता को कार्यमुक्त करने के पूर्व सेवा अभिलेख से यह पुष्टि कर लें, कि स्थानान्तरित व्याख्याता वर्तमान में सेवारत है एवं स्कूल शिक्षा विभाग के व्याख्याता है तथा स्थानान्तरित संस्था में विषयमान से संबंधित व्याख्याता का पद रिक्त है, पूर्ण रूप से आश्वस्त होने पर ही संबंधित को एक सालाह में कार्यमुक्त / कार्यगार पद्धण कराया जाये। यदि संबंधित व्याख्याता के संबंध में किसी प्रकार की गलत एवं विपरीत जानकारी प्रकाश में आती है तो आदेश का पालन न करते हुये वरतुरिति रो तत्काल संचालनालय को अवगत करावे। संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी निर्देशों का पालन रुनिश्चित करने के लिए पूर्ण उत्तरदायी होंगे। आदेश के क्रियान्वयन संबंधी पालन प्रतिवेदन 15 दिवस में अनिवार्य रूप से संचालनालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- संबंधित प्रावार्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हंतु।
- संबंधित की ओर सूचनार्थ।


 आयुक्त,
 लोक शिक्षण म.प्र.

